भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *33

दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना

†*33. डॉ. शशि थरूरः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार मार्च, 2023 तक केवल नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्थापना की है, जिनमें से केवल दो ही सक्रिय हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों ने चौथे और पांचवें एसएफसी की स्थापना भी नहीं की है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना" के सम्बंध में दिनांक 05.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *33 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लेखित विवरण।

(क) जी हां, महोदय; यहां यह उल्लेखनिय है कि एक राज्य वित्त आयोग तब सक्रिय माना जाता है जबतक उनकी सिफारिशों को अंतिम रूप नही दिया गया हो। एक बार रिपोर्ट/सिफारिशें प्रस्तुत हो जाने के बाद इसका कार्य पूरा हो जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य सरकारों की क्षमता और अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख) जी हां, महोदय; वर्तमान में, इक्कीस राज्यों में, राज्य वित्त आयोगों का गठन/ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

(ग) एवं (घ) पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 7 (स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण) में सिफारिश की है कि मार्च 2024 के बाद ऐसे राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसने एसएफसी के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। इसके उपरान्त, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 14-7-2021 के परिचालन दिशानिर्देशों के माध्यम से यह निर्धारित किया है कि जिन राज्यों ने अभी तक राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया है, उन्हें ऐसा करना अनिवार्य है और उनकी सिफारिशों पर कार्य करते हुए मार्च, 2024 को या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष की गई कार्रवाई के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन रखना है। पंचायती राज मंत्रालय ने इन दिशानिर्देशों को राज्यों के साथ साझा किया है तथा उपलब्ध समय सीमा के भीतर एसएफसी के गठन के विषय पर बैठकों/सम्मेलनों और पत्राचार के माध्यम से राज्यों को अवगत कराया है एवं अलग-अलग राज्यों से दृढ़तापूर्वक निवेदन किया है कि इसके प्रभावी कामकाज के लिए पर्याप्त स्टाफ, कार्यालय स्थान आदि के संदर्भ में आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करें।

*****